राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि०
नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।

E- mail: gmscdcho@gmail.com   Ph. No 0141-2740745, 2740544 Fax No. 0141-2740880

विज्ञप्ति

राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. के जिला कार्यालयो में रिक्त पदो लिपिक ग्रेड-I एवं लिपिक ग्रेड-II पर निम्नानुसार पे–बैण्ड एवॅ ग्रेड–पे मे राज्य सरकार में कार्यरत एवॅ निगम, मण्डल, बोर्ड तथा स्वायत्तशासी संस्थानो (अधिशेष कर्मचारी ना हो) एवं राज्य सरकार के सेवानिवृत कर्मचारी (निगम, मण्डल, बोर्ड, स्वायत्तशासी संस्थानो के ना हो) से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। इस हेतु विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं	पद नाम	पे–बैण्ड	ग्रेड–पे नम्बर	रिक्त जिले
1	लिपिक ग्रेड-I (UDC)	5200–20200	2800/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित	उदयपुर, अजमेर, जोधपुर
2	लिपिक ग्रेड-II (LDC)	5200–20200	2400/ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित	अलवर, बाड़मेर, बांसवाडा, बांरा, चितौडगढ, दौसा, जयपुर, जालौर, जैसलमेर, नागौर, प्रतापगढ बीकानेर, धौलपुर, डूगरपुर, झालावाड, राजसमन्द, श्री गंगानगर, चूरू, एवं हनुमानगढ

इच्छुक कर्मचारी अपने आवेदन पत्र पूर्ण व्यक्तिगत विवरण सहित अपने प्रशासनिक विभाग/नियोक्ता के माध्यम से अनापति प्रमाण–पत्र सहित कर्मचारी सीधे ही पूर्ण आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेजों सहित दिनांक 15/11/17... तक प्रबन्ध निदेशक राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. नेहरू सहकार भवन जयपुर को आवश्यक रूप से अग्रेषित कर भिजवा सकते है। आवेदन पत्र पर sje.rajasthan.gov.in उपलब्ध है।

शर्तें:–

1. चयनित कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत विदैशिक सेवा की शर्तो पर प्रतिनियुक्त किया जावेगा। वेतन एवं भत्ते उक्तानुसार देय होगे।
2. आवेदन कर्ता कर्मचारियों के विरूद्व किसी भी प्रकार की जांच विचाराधीन ना हो। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति प्रारभिक रूप से एक वर्ष के लिये प्रदान की जावेगी। जो की बढाकर अधिकतम चार वर्ष के लिये की जा सकेगी। किन्तु निगम द्वारा प्रतिनियुक्ति बीच में भी समाप्त की जा सकती है।
3. राज्य स्तरीय कर्मचारियों की आयु 55 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये।
4. सेवानिवृत कर्मचारियों के संबंध में कार्मिक विभाग के परिपत्र एफ 17 (10) डीओपी/ए–II/94/दिनांक 10.02.2016 के अनुसार चयन की कार्यवाही होगी एवं सेवानिवृत कर्मचारियों की आयु 62 वर्ष से अधिक नही हो।
5. कर्मचारियों का चयन कार्मिक विभाग के परिपत्र एफ 17 (10) डीओपी/ए–II/94/दिनांक 10.02.2016 के अनुसार कार्यवाही होगी। निगम की आवश्यकता/परिस्थिति अनुसार कभी भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
6. कर्मचारियों का चयन उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से निर्धारित प्रकिया अन्तर्गत किया जावेगा।
7. अपूर्ण एवं निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रो पर विचार नही किया जावेगा।

(डॉ. बी. एल. जाटावत)
प्रबन्ध निदेशक

आवेदन का प्रारूप

1. कर्मचारी का नाम
2. सेवा का नाम
3. अर्हता
4. जन्म तिथि

   (क) गृह जिला

   (ख) पदस्थापन के लिए विकल्प प्राथमिकता कम में
   तीन जिलो के नाम लिखे।
5. वर्तमान पद व वेतन श्रृंखला
6. पदौन्नति का आगामी पद व वेतन श्रृंखला
7. क्या धारित वर्तमान पद नियमित आधार पर है
   या तदर्थ आधार पर।
8. मूल वेतन
9. सरकारी सेवा में प्रवेश की तारीख
10. सेवानिवृति दिनांक
11. क्या कभी दण्डित किये गये है अथवा कोई
    जॉच लम्बित है, विवरण दीजिये।
12. अन्य सूचना जो आवेदक देना चाहे।
13. विभागाध्यक्ष की सिफारिश/प्रशासनिक विभाग की सिफारिश।
14. डाक का पता।

आवदेक हस्ताक्षर